



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत अभियुक्त को हुई 04 वर्ष कठोर कारावास व अर्थदंड की सजा

दिनांक 24.08.2021

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा न्यायालय में प्रचलित वादों में समस्त थाना प्रभारियों को सतत पैरवी हेतु निर्देशित किया गया है।

इस क्रम में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिला संबंधी अपराधों में सतत पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 24.08.2021 को माननीय न्यायालय में प्रचलित वाद में माननीय न्यायालय द्वारा विचारण पूर्ण कर 04 वर्ष कठोर कारावास एवम् कुल 11,000/-रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है। थाना हरगांव से सम्बन्धित मु०अ०सं० 262/14 बनाम मोहन पासी पुत्र केशन पासी नि० रिछिन थाना हरगांव सीतापुर में हरगांव पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत सम्मन को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। दिनांक 24.08.2021 को विचारण पूर्ण कर मा० न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 16 (पाक्सो एक्ट) सीतापुर द्वारा धारा 354/323 भादवि में दोषसिद्ध अभियुक्त मोहन उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 354 भादवि में 4 वर्ष कठोर कारावास व 10,000/-रुपये अर्थदंड, धारा 323 भादवि में 06 माह कठोर कारावास व 1,000/-रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी।

